

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या:-675/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2021,

दिनांक: 01 अप्रैल 2021

“कार्यालय-ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (वर्ष 2021) की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 5.01.18 की धारा 16(1) में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सिंचाई विभाग के समूह “ख” के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण-2021 किये जाने हेतु समिति का गठन एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| 1 | प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून । | - | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून । | - | सदस्य |
| 3 | प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा नामित
अधीक्षण अभियन्ता । | - | सदस्य |
| 4 | वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून । | - | सदस्य |

मुकेश मोहन
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2021 / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त स्थानान्तरण समिति हेतु अपने विभाग के अधीक्षण अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी को नामित कर उनके मोबाइल नम्बर सहित सूचित करने का कष्ट करें ।
4. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खंड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेशों को आज ही उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन करने की समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
6. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(सजीव जैत)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

01/04/21